

प्रेस नोट

दिनांक 11.06.2024, थाना को० देहात

जनपद गोण्डा।

थाना को० देहात पुलिस द्वारा महिला के साथ अश्लील हरकत करने व उसके साथ मारपीट करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

कार्यवाही:—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को० देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं०—265/24, धारा 498ए,354,506,376,323,504,494,120बी भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त चन्द्रशेखर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 06.06.2024 को थाना को० देहात में पीड़िता द्वारा तहरीर दी गयी कि उसके साथ उसके ससुरालजनों द्वारा अश्लील हरकत करते हुए उसके साथ मारपीट की गयी है। पीड़िता की तहरीर पर थाना को० देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना उ०नि० उमेश सिंह द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाए आरोपी अभियुक्त चन्द्रशेखर तिवारी को आज दिनांक 11.06.2024 को थाना को० देहात पुलिस टीम द्वारा ग्राम मधईपुर पोस्ट संगम विशुनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. चन्द्रशेखर तिवारी पुत्र रामतेज तिवारी नि० मधईजोत मौजा विशुनपुर संगम थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—265/24, धारा 498ए,354,506,376,323,504,494,120बी भादवि थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० उमेश सिंह।
02. मु०आ० नागेन्द्र यादव।
03. मु०आ० दिलीप यादव।
04. आ० नितिन यादव।
05. म०का० मोना वर्मा।

मीडिया सेल, गोण्डा।